

**राजस्थान सरकार**  
**राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन**  
**(राजस्थान सरकार का उपक्रम)**

गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन न: 0141-2228060-61 फैक्स न: 0141-2228065

ई-मेल :

rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स./2014-15/ 1848

दिनांक: 11/02/2014

**जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2014-15**

निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु प्रतिष्ठित एवं अनुभवी सेवा प्रदाता संस्थाओं/फर्मों से ई-निविदाएँ निम्न विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है:-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	ई-निविदा शुल्क (₹)	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की तिथि	प्रि-बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई-निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	ई-निविदा प्रपत्र खोलने की तिथि एवं समय
1.	जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य	75.00	1.50	2000.00	14.02.2014	25.02.2014	18.03.2014 12.00 बजे तक	18.03.2014 03.00 PM तक	19.03.2014 05.00 PM

ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट "[www.dipronline.org](http://www.dipronline.org)" एवं [www.rmsc.nic.in](http://www.rmsc.nic.in) पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स फोरमेट में वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रतिभूति (bid security) के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 18.03.2014 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-य) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्कैन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट [www.rmsc.nic.in](http://www.rmsc.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।

कार्यकारी निदेशक (गु.नि.)

D:/work/sudhir ji sir/packers/tende

## ई-निविदा

जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य हेतु ई-निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2014-15

निविदा क्रमांक :	एफ.90/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2014-15/ दिनांक:
प्रि-बिड दिनांक, समय व स्थान :	25.02.2014 समय अपराह्न 3.30 बजे स्थान कमरा संख्या-205 गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, जयपुर (राज.)
ऑनलाईन बिड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय :	18.03.2014 समय अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा प्रपत्र शुल्क:	₹ 2000.00 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर के पक्ष में देय</div>
RISL प्रोसेसिंग शुल्क:	₹ 1000.00 (प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय)

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क, आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) के डी.डी./बैंकर चैक उपर्युक्त नाम से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी, गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर के कक्ष संख्या 105 में दिनांक 18.03.2014 समय दोपहर 2.00 बजे तक भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत करने होंगे अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘य’) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट [www.rmcs.nic.in](http://www.rmcs.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली

प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ **Generated Scanned copy Upload** की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा ।

७

राजस्थान सरकार  
राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन  
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नं: 0141-2228060-81 फैक्स नं: 0141-2228065

ई-मेल :

rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ.9( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2014-15/

दिनांक:

कार्य की अनुमानित लागत - ₹ 75.00 लाख  
बोली प्रतिभूति (bid security)- ₹ 1.50 लाख

प्रपत्र 'अ' तकनीकी बिड  
ऑनलाईन ई-निविदा जमा कराने  
की अन्तिम तिथि-18.03.2014  
समय 3.00 बजे तक  
ई-निविदा प्रपत्र शुल्क- ₹ 2000.00

जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य की दर संविदा हेतु ई-निविदा प्रपत्र

1. जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य के लिए ई-निविदा :-
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, .....  
डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई-मेल सहित .....
3. कार्यालय का पता, दूरभाष नम्बर, सम्पर्क सूत्र व्यक्ति का नाम एवं मोबाईल नम्बर  
.....
4. किसको संबोधित किया गया - प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर।
5. ई-निविदा सूचना संदर्भ एफ 9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/पैकर्स/2014-15/  
दिनांक
6. ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 रसीद संख्या .....  
दिनांक .....द्वारा जमा करा दी गई है तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक  
संख्या.....दिनांक.....प्रबंध निदेशक, RMSC के पक्ष में देय,  
आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है अथवा  
पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-य) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित  
किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414  
IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy)

D:/work/sudhir ji sir/packers/tende

61

ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट [www.rmssc.nic.in](http://www.rmssc.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।

7. आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .....दिनांक .....प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘य’) द्वारा पंजाब नैशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नैशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाईट [www.rmssc.nic.in](http://www.rmssc.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए RISL प्रोसेसिंग फीस जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।
8. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई ई-निविदा सूचना संख्या ..... दिनांक ..... में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त ई-निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. ई-निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र ‘ब’ में जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य संबंधी दरें सभी करों व आनुषंगिक प्रभारों सहित अंकित है। सेवा कर की दरें पृथक् से दर्शाई जानी है।

10. जॉब आधारित पैकर्स सेवा इकाई की आवश्यकतानुसार आपूर्ति मांग 24 घंटे में की अवधि में कर दी जाएगी। निगम द्वारा आवश्यकतानुसार सेवा इकाई में कमी या वृद्धि की जा सकती है।
11. जॉब आधारित पैकर्स सेवा कार्य हेतु प्रपत्र 'ब' में दी गई दरें वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 3 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।
12. ई-निविदा सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति (bid security) के रूप में बैंक ड्राफ्ट / बैंकर चैक संख्या ..... दिनांक ..... राशि ..... भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘य’) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट [www.rmsc.nic.in](http://www.rmsc.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।
13. ई-निविदा प्रपत्र के साथ सेवाकर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा सेवा कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।
14. टर्न ओवर प्रमाण पत्र (प्रपत्र‘स’) संलग्न है।
15. पूर्व में समान प्रवृत्ति के कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र (प्रपत्र‘द’) संलग्न है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

७

# राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

गाँधी-ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन : 0141-2228061-62, फैक्स : 0141-2228065

ई-मेल : rmisc@nic.in

क्रमांक : प.9 ( )/आरएमएससी/ पैकर्स/2014-15/

दिनांक:

## तकनीकी निविदा प्रपत्र 'अ'

निगम मुख्यालय, जयपुर एवं विभिन्न जिलों में स्थित जिला औषधि भण्डार गृहों (DDWs) पर जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु खुली निविदा

1. परिचय :- राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि० राजस्थान सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत राज्य सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कम्पनी है। निगम का उद्देश्य केन्द्रीयकृत व्यवस्था के अन्तर्गत सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स इत्यादि का क्रय कर राजस्थान राज्य स्थित राजकीय चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों के माध्यम से मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

निगम द्वारा औषधियों के क्रय हेतु मुख्यालय जयपुर से औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स इत्यादि के लिए विनिर्माता फर्मों को सीधे क्रयादेश दिए जाते हैं एवं आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा क्रयादेश की पालना में समस्त राजस्थान में स्थित 33 जिलों में स्थित निगम के जिला औषधि भण्डार गृहों(DDWs) एवं 6 मेडिकल कॉलेज औषधि

भण्डार गृहों (MCDWs) में संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा विनिर्माता/आयातक औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है।

निगम के जिलों में स्थित DDW में जहाँ एक ओर आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स की आपूर्ति की जाती है एवं संबंधित DDW/MCDW द्वारा उस जिले में स्थित विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी इत्यादि के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार DDW/ MCDW से औषधियाँ सर्जिकल्स/सूचर्स आदि प्राप्त किए जाते हैं।

निगम द्वारा निगम मुख्यालय एवं समस्त राज्य स्थित DDW/ MCDW कार्यालयों पर जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु, सेवा प्रदाता फर्म/सोसाइटी जिन्हें इस कार्य का पूर्व में अनुभव है से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। उक्तानुसार जॉब आधारित पैकर्स सेवा ईकाई के लिए बेसिक हिन्दी एवं अंग्रेजी का ज्ञान होना अनिवार्य है। सामान्यतः प्रत्येक DDW/ MCDW हेतु 3 इकाइयाँ एवं मुख्यालय हेतु 25 इकाइयाँ हेतु निविदा आमंत्रित की जा रही है। पैकर्स सेवा (Units) की संख्या में प्रत्येक जिले पर औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स आदि के Flow के अनुसार वृद्धि/कमी की जा सकती है।

611

D:/work/sudhir ji sir/packers/tende

क्र.सं.	जिला औषधि भण्डार गृह (DDW)/ MCDW	प्रत्येक DDW / MCDW पर पैकर्स सेवा इकाई की कुल संख्या
1	जयपुर I & II एवं MCDW	4 + 4 + 3 = 11
2	अलवर	3
3	भरतपुर	3
4	दौसा	3
5	धौलपुर	3
6	झुंझुनू	3
7	सीकर	3
8	अजमेर एवं MCDW	3+3=6
9	भीलवाडा	3
10	नागौर	3
11	टोंक	3
12	बीकानेर एवं MCDW	3+3=6
13	चूरू	3
14	श्रीगंगानगर	3
15	हनुमानगढ़	3
16	जोधपुर एवं MCDW	3+3=6
17	बाडमेर	3
18	जैसलमेर	3
19	जालौर	3
20	पाली	3
21	सिरोही	3
22	कोटा	3+3=6
23	बांरा	3
24	बून्दी	3
25	झालावाड	3
26	करौली	3
27	सवाईमाधोपुर	3
28	उदयपुर एवं MCDW	3+3=6
29	बांसवाडा	3
30	चित्तौडगढ़	3
31	डूंगरपुर	3
32	प्रतापगढ़	3
33	राजसमंद	3
34	निगम मुख्यालय, जयपुर	25
	योग	147

जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु खुली निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। ऐसी फर्म/कम्पनी/सोसाईटी जिन्हें इस तरह की सेवाओं को उपलब्ध कराने का अनुभव हो, निविदा भर सकते हैं। ई-निविदा प्रपत्र वेबसाईट "<http://eproc.rajasthan.gov.in>"

D:/work/sudhir ji sir/packers/tende



से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाइट "www.dipronline.org" एवं [www.rmssc.nic.in](http://www.rmssc.nic.in) पर देखा जा सकता है। ई-निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक्स फोरमेट में वेबसाइट "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। ई-निविदा प्रपत्र शुल्क राशि ₹ 2000.00, RISL प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 व बोली प्रत्याभूति(bid security) के अलग-अलग डी.डी./बी.सी. दिनांक 18.03.2014 समय दोपहर 2.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है अथवा तीन पृथक-पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘श’) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या-2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट [www.rmssc.nic.in](http://www.rmssc.nic.in) पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए निविदा प्रपत्र शुल्क, RISL प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति (bid security) जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।

## 2. आवेदन के लिए वांछित पत्रता

1. निविदादाता सेवा प्रदाता फर्म/कम्पनी/सोसाइटी का विगत तीन वर्षों का औसत टर्न ऑवर ₹ 50.00 लाख हो। इस हेतु वांछित प्रामाणिक दस्तावेज बैलेंस शीट, Profit and Loss A/c, Receipt & Payment/Income-expenditure A/c आदि अनिवार्य रूप से संलग्न करे।
2. सेवा प्रदाता फर्म का श्रम विभाग एवं राज्य/केन्द्र सरकार के अधिनियमों के प्रचलित नियमों के अन्तर्गत पंजीकरण होना वांछित है। पंजीकरण संख्या व उसका प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी है।
3. फर्म/कम्पनी द्वारा न्यूनतम एक सरकारी विभाग/उपक्रम में इस तरह का कार्यानुभव विगत 3 वर्षों में होना अनिवार्य है। संतोषजनक सेवा का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. आवेदक को पंजीकृत कार्यालय/शाखा का के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर, फैक्स नम्बर सहित होना अनिवार्य है।
5. सेवा प्रदाता का राजस्थान में पंजीकृत कार्यालय होना अनिवार्य है।

## 3. आवेदन की विधि तथा अर्नेस्ट मनी जमा कराना

ई-निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि ₹ 2000.00 रसीद संख्या .....दिनांक ..... द्वारा जमा करा दी गई है तथा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या..... दिनांक.....प्रबंध निदेशक, RMSC के पक्ष में देय, आरएमएससी कार्यालय में भौतिक रूप से (Physically) प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘य’) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट

8

D:/work/sudhir ji sir/packers/tende

www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए ई-निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।

आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग फीस राशि ₹ 1000.00 डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्या .....दिनांक .....प्रबन्ध निदेशक, आरआईएसएल, जयपुर के पक्ष में देय भौतिक रूप (Physically) से प्रबन्ध निदेशक, आरएमएससी के कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है अथवा पृथक निर्धारित प्रारूप में चालान (प्रपत्र-‘य’) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक की भारत स्थित किसी भी शाखा से निगम के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या- 2246002100024414 IFS Code PUNB0224600 में जमा करवाते हुए स्केन्ड प्रति (scanned copy) ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Upload की जा सकती है अथवा निगम की वेबसाइट www.rmsc.nic.in पर e-deposit के माध्यम से निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए RISL प्रोसेसिंग फीस जमा करवाते हुए ई-निविदा के समय 18.03.2014 अपराह्न 03.00 बजे तक तकनीकी निविदा के साथ Generated Scanned copy Upload की जा सकती है। इस हेतु सफलता पूर्वक व्यवहार करने पर प्रति व्यवहार (Transaction) राशि ₹ 25 एवं सेवा कर अतिरिक्त देय होगा।

#### 4. कार्यों का विवरण मुख्यालय, जयपुर

1. कार्यालय की फाईले एवं दस्तावेजों को एक शाखा/स्थान से दूसरी शाखा स्थान पर स्थानीय स्तर पर सुरक्षित रूप से पहुँचाना।
2. सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश के दिन भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।
3. गुणवत्ता शाखा के लिए विभिन्न जिला औषधि भण्डार गृहों से जो औषधियाँ/सर्जिकल्स/सूचर्स/अन्य सामग्री इत्यादि मुख्यालय जयपुर को समय-समय पर गुणवत्ता जाँच हेतु आते हैं। इन्हें सुव्यवस्थित रूप से लोडिंग/अनलोडिंग करना।
4. जिस शाखा में उनकी सेवाएँ ली जा रही हैं। उनके अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशानुसार विभिन्न कार्य सम्पादित करना।

जिला औषधि भण्डार गृह (DDWs) एवं मेडिकल कॉलेज औषधि भण्डार गृह (MCDW) पर :-

1. भण्डार गृह का पूर्ण रख-रखाव।
2. औषधियों/सर्जिकल्स/सूचर्स/अन्य सामग्री को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW/ MCDW) के निर्देशों के अनुरूप सुव्यवस्थित करना।

3. औषधियों को प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार गृह (DDW / MCDW) के निर्देशों के अनुरूप आवश्यकता होने पर लौडिंग/अनलौडिंग का कार्य करना।
4. सामान्यतः सेवा राजपत्रित अवकाशों के अलावा प्रत्येक दिवस सुनिश्चित करनी होगी। राजपत्रित अवकाश में भी आवश्यकतानुसार सेवा प्रदाता से वांछित कार्य करवाया जा सकता है।

5. निविदा का खोला जाना

दिनांक 18.03.2014 को सांय: 3 बजे तक प्राप्त/Upload निविदा प्रपत्रों को दिनांक 19.03.2014 सांय: 5 बजे उपस्थिति निविदादाताओं के समक्ष खोला जाएगा।

6. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि

सफल निविदादाता को कार्यादेश राशि के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति को (Performance Security)जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंक पे-आर्डर प्रबंध निदेशक, आरएमएससी के नाम जो जयपुर में भुगतान योग्य हो, के माध्यम से जमा करानी होगी। पूर्व में बोली प्रतिभूति(bid Security)के रूप में जमा राशि समायोजित की जा सकेगी। यह कार्य सम्पादन प्रतिभूति निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वांछित अवधि समाप्त होने पर तथा समस्त कार्य संतोषजनक पूर्ण करने पर ही लौटाई जा सकेगी अन्यथा कि स्थिति में यह पूर्ण रूप से/अंशतः जब्त की जा सकेगी।

7. उत्तरदायित्व

सेवा सम्पादन के दौरान मैन पॉवर की किसी प्रकार की दुर्घटना या भारत/राजस्थान में प्रचलित किसी कानून/नियम/अधिनियम/उपनियम के उल्लंघन की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सेवा हेतु रखे गए पैकर्स सेवा ईकाई की समस्त प्रकार की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। सफल निविदादाता को प्रत्येक जिले/संभाग स्तर पर जिम्मेदार अधिकारी/व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नम्बर उपलब्ध करवाना होगा ताकि कार्य सुचारु रूप से हो सके।

8. ई-निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने की शक्तियाँ

निविदा को बिना कारण बताए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध निदेशक, आरएमएससी, जयपुर को होंगे। साथ ही स्वीकृत न्यूनतम दर पर एक या एक से अधिक ई-निविदादाताओं को कार्य विभाजन का भी अधिकार होगा। यह अनिवार्य नहीं की असफल निविदादाता के साथ पत्र व्यवहार करें या उनके पत्र व्यवहार का जवाब दिया जाएँ। एक बार ई-निविदा प्रस्तुत कर देने के पश्चात् वापस लेने का अधिकार किसी निविदादाता को नहीं होगा। अपूर्ण ई-निविदा फार्म रद्द कर दिए जाएँगे। ई-निविदा में प्राप्त दरें

61  
D:/work/sudhir ji sir/packers/tende

बातचीत (Negotiation)/बिना बातचीत स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार निगम को होंगे जो निविदादाता के लिए बाध्यकारी होंगे।

### 9. अनुमानित राशि का आंकलन

उपर्युक्त बिन्दु संख्या-1 में वर्णित कार्य संख्या अनुमानित है, जिसमें मौके पर कुछ परिवर्तन संभावित है। उक्तानुसार कार्य की अनुमानित लागत राशि ₹ 75.00 लाख प्रतिवर्ष है। इसके अतिरिक्त इसमें अन्य कोई कर सम्मिलित नहीं है। निगम द्वारा आयकर स्रोत पर काटकर ही राशि का भुगतान किया जाएगा। दृ

### 10. निविदा अनुबंध की अवधि

अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी तथा जो परस्पर सहमति से 03 माह बढ़ाई जा सकती है।

### 11. अनुबन्ध

सफल निविदादाता को निगम द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार नियमानुसार निर्धारित राशि ₹ 5,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर एक अनुबंध सम्पादित करना होगा जिसका व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। दोनों पक्षों को उक्त अनुबंध की प्रत्येक शर्त का अक्षरशः पालन करना होगा। यदि निविदादाता उक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुबंध किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जाएगा। तथा उक्त कार्य अनुबंधकर्ता की Risk and Cost पर अन्य व्यक्ति से करा लिया जाएगा। यदि करार के पश्चात् जिला औषधि भण्डार गृह की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी/कमी होती है तो आनुपातिक आधार पर पैकर्स सेवाएँ बढ़ाई/घटाई जा सकती है।

### 12. भुगतान की शर्तें

बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जाएगा। सफल निविदादाता सेवा प्रदाता को प्रतिमाह संबंधित जिला औषधि भण्डार गृह के प्रभारी अधिकारी से सेवा संतोषजनक होने का प्रमाणीकरण करवाकर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिल निगम मुख्यालय पर प्रस्तुत करने होंगे जिसके आधार पर भुगतान किया जा सकेगा। उक्त सेवाओं के बदले निगम द्वारा सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर मासिक आधार पर भुगतान समेकित रूप से निविदादाता सेवा प्रदाता को RTGS/NEFT द्वारा किया जाएगा।

### 13. भुगतान की जिम्मेदारी

निगम निविदादाता (सेवा प्रदाता) को मासिक आधार पर सेवाओं के संतोषजनक होने पर सेवा प्रदाता फर्म को भुगतान करेगा। अन्य किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त होगा। पैकर्स सेवा के किए जाने वाले भुगतान तथा अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होगा।

### 14. मध्यस्थ

निविदा की किसी भी शर्त/शर्तों के संबंध में निगम का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

०१

## 15. कार्यादेश का निरस्तीकरण

निगम को किसी भी कार्यादेश को निरस्तीकरण पेटे बिना कोई भुगतान किए पूर्णतः/आंशिक रूप से निरस्तीकरण के सम्पूर्ण अधिकार होंगे लेकिन यह मात्र असामान्य/विशेष परिस्थितियों में ही हो सकेगा।

## 16. निविदा शर्तों की स्वीकारोक्ति

निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने लघु हस्ताक्षर करेगा जिससे यह माना जाएगा कि उसने प्रत्येक शर्त पढ़/समझ ली है तथा उसे/उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार्य है। अहस्ताक्षरित निविदाएँ निरस्त की जा सकती हैं। भारत/राजस्थान सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी कर/लेवी की वसूली सफल निविदादाता के बिल से कटौती निगम द्वारा की जाएगी।

17. ई-निविदा की अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-८ के नियम 68 खुली ई-निविदा के लिए ई-निविदा एवं संविदा की शर्तें एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के अनुसार लागू होंगी।

18. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म ई-निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी। यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी ई-निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की बोली प्रतिभूति (Bid Security)/कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।

19. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार - बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :-

(क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा ;

(ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और

(ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यक्षीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।

20. सत्यनिष्ठा संहिता - उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति, -

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान

या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

- (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।
- (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।
- (घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरुपयोग नहीं करेगा।
- (ङ) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।
- (च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।
- (छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।
- (ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियमभंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

## 21. हित का विरोध -

- (1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लागू विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।
- (2) उन स्थितियों में, जिनमें उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है :-
- (क) हित का विरोध तब घटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य वृत्तिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके वृत्तिक कृत्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।
- (ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्य क्रिया कलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

- (ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कृत्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।
- (घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहां उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उसमें सम्मिलित करता है।
- (3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,—
- (क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।
- (ख) वे उनमें से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;
- (ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।
- (घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के माफत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।
- (ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

- (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाइन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाइन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नहीं संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।

22. उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण – प्रथम अपील प्राधिकारी शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

२१

1 अपील:- (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्याधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप (प्रपत्र-‘र’) में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जौन का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो उप-धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्याधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

(4) यदि उप-धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप-धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप-धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप-धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का

D:/work/sudhir ji sir/packers/tende



युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप-धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा-सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप-धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप-धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीति से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

1. **अपील का प्रारूप** - (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप-धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र -'र') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।


(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

2. **अपील फाइल करने के लिए फीस** - (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

61 (2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्रापट या बैंकर चैक

- के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।
3. अपील के निपटारे की प्रक्रिया - (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,-
- (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और
- (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।
23. यदि वाद उत्पन्न होने कि स्थिति बनती है तो उस स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।

  
प्रबन्ध निदेशक एवं  
पदेन शासन संयुक्त सचिव  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तों का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तों से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

## राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन

फर्म का नाम व पता :-

वित्तीय निविदा

प्रपत्र "ब"

निगम मुख्यालय जयपुर एवं विभिन्न जिलों में स्थित DDW एवं MCDW पर जॉब आधारित पैकर्स सेवा हेतु निविदा प्रस्ताव	प्रस्तावित राशि प्रति इकाई प्रतिमाह (₹)	'कर' यदि कोई देय हो प्रतिशत एवं राशि (₹)	कुल योग (₹)
01	02	03	(2 + 3)

नोट :- निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .....का विगत तीन वित्तीय वर्षों का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/C संलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि ₹ लाखों में)
1.	2010-11	
2.	2011-12	
3.	2012-13	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का  
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

०१

ई-निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने प्लेसमेंट कार्य/ सेवा ईकाई की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षों में आपूर्तित सेवा इकाईयों के सतोंष प्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई-निविदादाता के हस्ताक्षर

७१



Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... [First/Second Appellate Authority]

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official Address, if any:

(iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

.....  
.....  
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

.....  
.....

Place ..... Date .....

Appellant's Signature

61